Public Health & Family Welfare Department
Madhya Pradesh

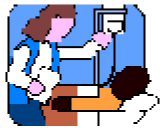

Nursing Home Act

THE MADHYA PRADESH UPCHARYAGRIHA TATHA RAJUPCHAR SAMBANDHI STHAPANAYE (REGISTRIKARAN TATHA ANUGYAPAN) ADHINIYAM, 1973

(No. 47 of 1973)

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31 भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अगस्त 1997–श्रावण 10, शके 1919

भाग 4

विषय–सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम,	

भाग 4 (क) कुछ नही

भाग 4 (ख) कुछ नहीं

भाग 4 (ग)

प्रारूप नियम

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 1997

क्र.एफ.2–3–97–सत्रह–मेडि–2–मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 (क्रमांक 47 सन् 1973) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा,

निम्नलिखित नियम, जो उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं और जिन्हें अब उसकी उक्त उपधारा द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार प्रकाशित किया जाता है, बनाती है, अर्थात :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ — इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) नियम, 1997 है।

ये नियम इसमें यथा परिभाषित स्थानीय क्षेत्रों में लागू होंगे।

2. परिभाषाएं — इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश उपर्चागृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 (क्र. 47 सन्1973);

(ख) ''प्रारुप'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्रारुप;

(ग) ''संक्रामक रोग'' से अभिप्रेत है ऐसा रोग जिसके बारे में यह अपेक्षित है कि कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी तत्समय प्रवृत विधि के अधीन अपने क्षेत्र के चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी को अधिसूचित करें;

(घ) ''उपचर्यागृह या रुजोपचार संबंधी स्थापना रखने वाला (कीपर) या उसकी स्वामी'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन उपचर्यागृह या रुजोपचार संबंधी स्थापना के संबंध में पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा सम्यक रुप से रजिस्ट्रीकृत हो और जिसका रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम की धारा 5 के अधीन रदद् नहीं किया गया हो;

(ड.) ''स्थानीय क्षेत्र'' से अभिप्रेत है यथास्थिति मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अधीन गठित किसी नगरपालिका निगम या किसी नगरपालिका या किसी नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र या कोई अन्य क्षेत्र जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये स्थानीय क्षेत्र के रुप में घोषित है;

(च) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(छ) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची.

3. रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन— किसी उपचर्यागृह या रुजोपचार संबंधी स्थापना को आरंभ करने या चलाने का आशय रखने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी तारीख से, जिससे वह ऐसा उपचर्यागृह या रुजोपचार संबंधी स्थापना आरंभ करने या चलाने का आशय रखता है, कम से कम एक मास पूर्व प्रारुप ''क'' में पर्यवेक्षी प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

4. आवेदन की अभिस्वीकृति—

(1) जहां कोई आवेदन किसी रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी या नवीकरण के लिए व्यक्तिशः दिया जाए तो उसकी रसीद तत्काल अभिस्वीकृत की जाएगी।

(2) जहां ऐसा आवेदन रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्राप्त हो तो उसकी रसीद उसी दिन अभिस्वीकृत की जाएगी,

(3) किसी भी अन्य दशा में, ऐसे आवेदन की रसीद उसकी प्राप्ति के तीन दिन के भीतर अभिस्वीकृत की जाएगी.

5. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र तथा अनुज्ञप्ति का मंजूर करना– यदि पर्यवेक्षी प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात जिसमें उपचर्यागृह या रुजोपचार संबंधी स्थापना के उपयोग में लाये जाने के लिए आशयित परिसर का निरीक्षण भी सम्मिलित है, जो आवश्यक समझी जाए, यह समाधान हो जाए कि रजिस्ट्रीकरण के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है तो वह आवेदक को रजिस्ट्रीकृत, करेगा और उसे प्रारुप ''ख'' में रजिस्ट्रीकृत प्रमाण–पत्र तथा प्रारुप ''ख ख'' में अनुज्ञप्ति जारी करेगा। पर्यवेक्षी प्राधिकारी इन नियमों के अधीन प्राप्त प्रत्येक आवेदन का निराकरण यथा संभव, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर करेगा।

6. रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञप्ति का नवीकरण–

(1) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन प्रत्येक वर्ष के अग्रिम में प्रारुप ''क'' में उस तारीख, जिसको कि रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञप्ति समाप्त होती है, के कम से कम एक माह पूर्व किया जाएगा और उसके साथ नियम–7 में विहित की गई फीस होगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर पर्यवेक्षी प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता हैं कि आवेदन व्यवस्थित है तो वह प्रारुप ''ख'' में रजिस्ट्रीकरण का नया प्रमाण–पत्र और प्रारुप ''ख ख'' में अनुज्ञप्ति जारी करेगा।

7. फीस– रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र तथा अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र तथा अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के जारी करने के लिए फीस अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी और प्राप्ति शीर्ष–0210–चिकित्सा में जमा की जाएगी। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र तथा अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रभार्य फीस वही होगी जो नए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र तथा नई अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए है।

8. रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञप्ति के आवेदन को नामंजूर करना – पर्यवेक्षी प्राधिकारी, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात तथा लिखित में कारणों को अभिलिखित करने और आवेदक को संसूचित करते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र तथा अनुज्ञप्ति मंजूर करने या नवीनीकरण करने से इन्कार कर सकेगाा।

9. फीस की वापसी –

(1) जहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र मंजूर करने या नवीकरण करने संबंधी आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है, तो आवेदक द्वारा भुगतान की गई फीस आवेदक को वापस कर दी जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र मंजूर करने या नवीनीकरण के लिये जहां कोई आवेदन पत्र आवेदक के द्वारा कोई तात्विक जानकारी दबाने की किसी गलती के या पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा चाही गई कोई सारवान जानकारी नहीं देने के कारण नामंजूर कर दिया गया है। तो आवेदक द्वारा भुगतान की गई फीस समपहृत कर ली जाएगी।

10. रजिस्टर – पर्यवेक्षी प्राधिकारी अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकुत व्यक्तियों के नाम दर्शाने वाला एक रजिस्टर प्रारूप "ग" में रखेगा।

11. पते में परिवर्तन – उपचर्यागृह या रूजोपचार संबंधी स्थापना रखने वाला (कीपर) या उसका स्वामी अपने पते में या उस उपचर्यागृह या रूजोपचार संबंधी जिसके संबंध में रजिस्ट्रीकृत किया गया है, की स्थिति में हुए किसी भी परिवर्तन की संसूचना पर्यवेक्षी प्राधिकारी को, ऐसे परिवर्तन के पश्चात् अधिक से अधिक तीन दिन के भीतर देगा।

12. कर्मचारीवृन्द में परिवर्तन – चिकित्सीय उपचर्या, प्रसाविका, (मिडवाइफरी) या तकनीकी कर्मचारीवृन्द में परिवर्तन उन तारीखों के साथ जब ऐसे परिवर्तन किए गये हैं, पर्यवेझी प्राधिकारी को तत्काल संसूचित किये जायेगें और हर हालत में ऐसा परिवर्तन होने के अधिक से अधिक तीन दिन के भीतर संसूचित किया जावेगा।

13. प्रमाण–पत्र या अनुज्ञप्ति का गुम हो जाना – रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र या अनुज्ञप्ति या दोंनों के गुम या नष्ट हो जाने की स्थिति में, धारक, पर्यवेक्षी प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र या अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रतिलिपि के लिए आवेदन कर सकेगा और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, यदि वह उचित समझे, अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट की गई फीस का भुगतान किए जाने पर ऐसा प्रमाण–पत्र और या अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगा। इस नियम के अधीन जारी किए गए किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र या अनुज्ञप्ति पर "दूसरी प्रति" अंकित किया जाएगा।

14. उपचर्यागृह में भरती किए गए रोगियों या पैदा हुए शिशुओं का अभिलेख –

(1) उपचर्यागृह चलाने वाला, –

(क) उपचर्यागृह में भर्ती किए गए रोगियों का रजिस्टर प्ररूप "घ" में रखेगा।

(ख) उपचर्यागृह में भर्ती किए गए रोगियों के नामों की सूची वर्णक्रमानुसार सही सूची रखेगा,

(ग) प्रत्येक रोगी के स्वास्थ्य या अभिलेख (केस–शीट) जिसमें किसी अन्य जानकारी के साथ, जो पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित की जाए निम्नलिखित जानकारी अंतर्विष्ट होगी :–

(एक) वर्ष ....

(दो) रजिस्टर क्रमांक ....

(तीन) नाम ....

पत्नी / आत्मज / आत्मजा ....

(चार) व्यवसाय ....

(पांच) लिंग ....

(छह) जाति ....

(सात) आयु ....

(आठ) भरती की तारीख ....

(नौ) छुट्टी की तारीख ....

(दस) रोग ....

(ग्यारह) उपचार परिणाम ....

(बारह) तारीख .... इतिवृत्त तथा उपचार ....आहार.......................................

(2) जहां उपनियम (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट रजिस्टर में की गई कोई प्रविष्टि ऐसी किसी महिला से संबंधित हो, जिसे प्रसव के लिये भरती किया गया हो और जहां ऐसी महिला का पैदा होने वाला शिशु उपचर्यागृह रखने वाले की ओर माता–पिता या माता या निकट के नातेदार की सहमति से उसकी अभिरक्षा से हटाया गया हों, तो ऐसा उपचर्यागृह रखने वाला उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति का नाम और पता जिसकी

अभिरक्षा में तथा वह तारीख जब शिशु को हटाया गया हो और वे कारण जिनके आधार पर शिशु इस प्रकार हटाया गया हो, भी रजिस्टर में विनिर्दिष्ट करगा।

15. रूजोपचार, संबंधी स्थापना में स्थापना में परीक्षण या उपचार किए गए रोगियों का अभिलेख – रूजोपचार संबंधी स्थापना रखने वाला (कीपर) या उसका स्वामी परीक्षा किए गए या उपचार किए गए रोगियों के, जिनके संबंध में कोई परीक्षण किए गए हों, संबंध में एक रजिस्टर प्ररूप "ड.) में तैयार करेगा और रखेगा।

16. उपचर्यागृह में रोगी की मृत्यु हो जाने की सूचना – यदि उपचर्यागृह में किसी रोगी की मृत्यु होने के 24 घंटे के भीतर ऐसी मृत्यु के संबंध में पर्यवेक्षी प्राधिकारी को किसी अन्य ऐसी जानकारी के साथ, जो उसके द्वारा अपेक्षित की जाए, और उस क्षेत्र पर, जिसमें उपचर्यागृह स्थित है, अधिकारिता रखने वाले चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी को निम्नलिखित जानकारी देगा :–

(एक) मृत्यु की तारीख ....

(दो) मृतक का नाम (बडे. अक्षरों में) ....

(तीन) पुरूष या महिला ....

(चार) मृतक के पिता या पति का नाम (बडे. अक्षरों में) ....

(पांच) मृतक की आयु ....

(छह) मृतक का व्यवसाय ....

(सात) मृत्यु का कारण ....

17. उपचर्यागृह की अपेक्षाऐं – उपचर्यागृह रखने वाला या स्वामी उपचर्यागृह की उन अपेक्षाओं को, जो अनुसूची दों में यथा विनिर्दिष्ट की गई है, समस्त समयों पर पूरी करेगा :

परन्तु इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख के पूर्व से ही रजिस्ट्रीकृत उपचर्यागृह इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से नब्बे दिन की कालावधि के भीतर अपेक्षाओं को पूरी करेंगे।

18. रूजोपचार संबंधी स्थापना की अपेक्षाऐं – रूजोपचार संबंधी स्थापना रखने वाला या उसका स्वामी, अनुसूची तीन में यथाविनिर्दिष्ट रूजोपचार संबंधी स्थापना की अपेक्षाओं को समस्त समय पर पूरा करेगा।

19. सांसर्गिक रोगों के संबंध में तत्काल रिपोर्ट – उपचर्यागृह या रूजोपचार संबंधी स्थापना की जानकारी में जैसे ही यह बात आती है कि उपचर्यागृह या रूजोपचार संबंधी स्थापना में बाह्य या आंतरिक रोगी के रूप में भर्ती किया गया कोई व्यक्ति टिटनेस, गैस गैंगरीन, छोटी माता, हैजा, आन्त्रशोध, खसरा, इन्फेक्टिव हेपेटाईटिस, पोलियो मिलाइटिस या मस्तिष्क ज्वर से ग्रस्त हुआ हैया पीडि.त हो गया है तो उपचर्यागृह या रूजोपचार संबंधी स्थापना रखने वाला या इसका स्वामी जिले के मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी को और या यथास्थिति नगरनिगम या नगरपालिका परिषद् द्वारा अनुरक्षित चिकित्सालय के, यदि कोई हो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, और पर्यवेक्षी प्राधिकारी को तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और स्थापना को तत्काल करतीन (सगरोधन) के अधीन किया जायेगा तथा परिसरों को किसी उचित रीति से रोगानाशित किया जाएगा।

20. अपील हेतु आवेदन – इस अधिनियम या इन नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर आदेश के विरूद्ध

तीन प्रतियों में राज्य सरकार को अपील कर सकेगा। अपील के आवेदन के साथ ऐसी कोषालय रसीद, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि सरकारी कोषालय में राज्य सरकार के खाते में 100/— रूपये की फीस भुगतान कर दी गई है और उस आदेश की एक प्रति जिसके विरूद्ध अपील की गई है, संलग्न की जाएगी।

परन्तु यदि आवेदक राज्य सरकार का यह समाधान करा दे कि उसके पास समय के भीतर आवेदन न देने के लिए पर्याप्त कारण है, तो ऐसा आवेदन साठ दिन की उक्त कालावधि के पश्चात् भी ग्रहण किया जा सकेगा।

21. अपील के आवेदन पर आदेश — (1) अपील के लिए आवेदन प्राप्त होने पर तथा उसमें निर्दिष्ट अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार, आदेश की पुष्टि कर सकेगी, उसमें उपांतरण कर सकेगी या उसे अपास्त कर सकेगी या उसके संबंध में ऐसा अन्य आदेश, जैसा कि न्याय संगत और उपर्युक्त समझे, पारित कर सकेगी।

(2) अपील के अंतिम निपटारे के लंबित रहने के दौरान राज्य सरकार, पर्याप्त कारण से उस आदेश, के जिसके विरूद्ध अपील की गई है, निष्पादन को रोक सकेगी।

अनुसूची — एक

(नियम 7 देखिए)

फीस की अनुसूची

(क)	उपचर्यागृह तथा प्रसूति गृह के लिए	श्रजिस्ट्रीकरण फीस	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र और अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए फीस रूपये
	(एक) 10 बिस्तरों तक	रू0 200.00	
	(दो) 10 बिस्तरों से अधिक किन्तु 20 बिस्तरों तक	रू0 350.00	
	(तीन) 20 बिस्तरों से अधिक किन्तु 30 बिस्तरों तक	रू0 450.00	रू0 50.00
	(चार) 30 बिस्तरों से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त बिस्तर के लिए	रू0 15.00	
(ख)	शारीरिक चिकित्सा स्थापना के लिए	रू0 200.00	
(ग)	रूजोपचार संबंधी प्रयोगशाला के लिए	रू0 200.00	रू0 50.00
(घ)	बाह्य रूजोपचार के लिए	रू0 200.00	

अनुसूची – दो

(नियम 17 देखिए)

उपचर्यागृह की अपेक्षाएं

(क) स्थिति तथा आसपास का वातावरण – उपचर्यागृह किसी खुली मल नाली, या सार्वजनिक शौचालय से अथवा धुंआ या दुर्गन्ध छोड़ने वाले किसी कारखाने से लगा हुआ नहीं होगा।

(ख) भवन –

(एक) उपचर्यागृह के लिए उपयोग में लाए गए भवन के संबंध में समय–समय पर कृत सुसंगत नगरपालिक उपविधियों का पालन किया जाएगा।

(दो) उपचर्यागृह के कक्ष अच्छे हवादार तथा प्रकाशयुक्त होंगे और स्वच्छ तथा स्वास्थ्यकर दशा में रखे जाएंगे।

(तीन) प्रसूति कक्ष तथा शल्यक्रिया कक्ष की दीवारों का फर्श से चार फुट की ऊंचाई तक ऐसा निर्माण होगा ताकि वे जलरोधी बनी रहें, फर्श ऐसा होगा कि धूल का जमाव या संचयन न हो सके। दीवारों या फर्श में कोई दरार या सुराख नही होंगे।

(चार) प्रसूति कक्ष तथा शल्यक्रिया कक्ष की रोगाणुमुक्त स्थिति बनाए रखी जाएंगी।

(पांच) सेप्टिक तथा संक्रामक रोगियों के माामलों को अलग करने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएंगी।

(ग) रोगियों आदि के लिए स्थान व्यवस्था – (एक) उपचर्यागृह के कक्ष में एक बिस्तर के लिए फर्श स्थान (फ्लोर स्पेस) 100 वर्गफुट और प्रत्येक अतिरिक्त बिस्तर के लिए अतिरिक्त 75 वर्गफुट होगा।

(दो) प्रसूति कक्ष/शल्य क्रिया कक्ष के लिए कम से कम 180 वर्गफुट फर्श स्थान की व्यवस्था की जाएंगी।

(तीन) कर्तव्य पर उपस्थित परिचर्या कर्मचारीवृन्द के लिए एक कर्तव्य कक्ष की व्यवस्था की जाएगी।

(चार) औषधियों, खाद्य सामग्रियों उपस्करों आदि के भण्डारण के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था की जाएंगी।

(घ) जल प्रदाय – उपचर्यागृह में उपयोग किया गया जल शुद्ध तथा पीने योग्य गुण (क्वालिटी) का होगा।

(ड.) कर्मचारीवृन्द के स्वास्थ्य, वस्त्र और स्वच्छता की अपेक्षाएं –

(एक) नियोजित कर्मचारीवृन्द सांसर्गिक रोंगो से मुक्त होंगे और उनके कर्तव्यों की प्रकृति के अनुरूप उनकी स्वच्छ पोशाक की व्यवस्था की जाएगी।

(दो) नियोजन के समय कर्मकारों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा और तत्पश्चात् इसी प्रकार नियतकालिक परीक्षण किया जाएगा।

(च) उपस्कर तथा लिनन आदि – उपचर्यागृह में निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी और उनका अनुरक्षण किया जाएगा :–

(एक) फ्लश व्यवस्था सहित पर्याप्त संख्या में कमोड, बेडपान तथा स्लोप सिक्स।

(दो) उच्च दाब जीवाणुनाशक यंत्र (स्टरलाइजर) और उपस्कर जीवाणुनाशक यंत्र।

(तीन) आक्सीजन देने के लिये आक्सीजन सिलेण्डर तथा आवश्यक संलग्नक।

(चार) रक्त संधारण (ट्रांसफ्यूजन) साधित्र।

(पांच) पर्याप्त उपस्कर, उपकरण तथा साधित्र।

(छह) पर्याप्त संख्या में चादरें, गद्दे, तकिये, कंबल, ड्रा शीट्स तथा अन्य लिनन, और

(सात) विषाक्त पदार्थ रखने के लिये चाबी वाली अलमारी।

(आठ) आंतरिक रोगियों के लिए नीचे दिए अनुसार न्यूनतक फर्नीचर तथा लिनन की व्यवस्था की जाएंगी :–

प्रत्येक आंतरिक रोगी के लिए

गद्दे सहित पंलग	–	एक
बेड साईज लाकर	–	एक
कुर्सी /स्टूल	–	एक
कंबल	–	एक
चादर पंलग पोश	–	दो प्रतिदिन बदलि जायेगी
गिलाफ सहित तकिया	–	एक
पंलग पोश (काउंटर पेन)	–	–
मच्छरदानी	–	एक

(छ) भोजन – यदि उपचर्यागृह रोंगियों के लिये भोजन की व्यवस्था करता है तो उसे स्वास्थ्यकर स्थिति में बनाया और परोसा जाएगा।

(ज) उपचर्यागृह कर्मचारीवृन्द तथा प्रसाविकाएं – (1) 20 बिस्तरों के लिये चार उपचारिकाओं के मान से उपचारिकाएं होगी साथ ही 10 बिस्तरों के उपचर्यागृह/प्रसूति गृह में कम से कम तीन उपचारिकाएं होंगी। 50 अथवा इससे अधिक बिस्तरों के उपचर्यागृह में प्रत्येक 50 बिस्तरों या उसके किसी भाग के लिये एक नर्सिंग सिस्टर की सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

(2) केवल प्रसूति गृहों के मामले में 1 से 10 बिस्तरों के लिये 2 प्रसाविकाएं होंगी।

(झ) अभिलेख – उपचर्यागृह द्वारा (एक) उपस्कर, (दो) उपकरणों और (तीन) लिनन के लिये पृथक–पृथक स्टाक रजिस्टर रखे जाएंगे।

(ा) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की सेवाओं की व्यवस्था नीचे दर्शाए गए अनुसार की जाएगीः–

(एक) प्रत्येक 15 रोगी बिस्तरों या उसके किसी भाग के लिए एक चिकित्सा व्यवसायी साथ ही 45 से कम बिस्तर वाले उपचर्यागृह में कम से कम तीन चिकित्सा व्यवसायी होंगे।

(दो) प्रतिदिन प्रत्येक 40 नए बाह्य रोगियों या उसके किसी भाग के लिए एक चिकित्सा व्यवसायी,

(तीन) प्रतिदिन प्रत्येक 50 पुराने रोगियों या उसके किसी भाग के लिए एक चिकित्सा व्यवसायी।

(ट) एक रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की सेवाएं, आंतरिक रोगियों के आपात बुलावे (इमरजेंसी काल) पर हाजिर होने के लिए, हर समय कर्तव्य पर उपलब्ध रहेंगी।

(ठ) यदि औषधि भंडार अनुरक्षित है तो एक भैषजज्ञ (फार्मासिस्ट) की सेवाएं।

(ड) यदि एक्स–रे सुविधा की व्यवस्था की गई है तो एक अर्हित चिकित्सा व्यवसायी और एक्स–रे तकनीशियन की सेवाएं।

(ण) यदि भौतिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई है तो एक भौतिक चिकित्साविद की सेवायें।

(त) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र तथा अनुज्ञप्ति को उपचर्यागृह में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(थ) अनुरक्षित समस्त अभिलेखों तथा रजिस्टरों पर उपचर्यागृह के रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञप्ति का क्रमांक होगा। इसी प्रकार उपचर्यागृह द्वारा उपयोग में लाए गए सभी दस्तावेज तथा स्टेशनरी, जिसमें उपचार चार्ट, रिपोर्ट, केश मेमो, बिल आदि सम्मिलित है, पर भी यह क्रमांक होगा।

(द) उपचर्यागृह रखने वाला एक शिकायत पुस्तक रखेगा और इसे शिकायतकर्ता की शिकायत दर्ज करने के लिये उपलब्ध करायेगा। शिकायत पुस्तक पर्यवेक्षी प्राधिकारी या उसकी ओर से निरीक्षण करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी।

(ध) उपचर्यागृह चलाने वाला उपचर्यागृह द्वारा दी जा रही विभिन्न चिकित्सीय सेवाओं की दर सूची (रेट लिस्ट) प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा। पर्यवेक्षी प्राधिकारी को भी दर सूची तथा इसमें किए गए संशोधन, यदि कोई हो, की जानकारी दी जाएगी।

(न) उपचर्यागृह रखने वाला, किसी सरकारी सेवक को उसके द्वारा राज्य सरकार से इस निमित्त प्राप्ति की गई स्पष्ट अनुमति के बिना उपचर्यागृह में किसी भी कार्य, जिसमें परामर्श भी सम्मिलित है, के लिये नहीं रखेगा या लगाएगा और जहां सरकारी सेवक को इस प्रकार उपचर्यागृह में लगाया/रखा जाता है तो उपचर्यागृह रखने वाला या उसका स्वामी पूर्णकालिक/अंशकालिक आधार पर रखे/लगाए गए ऐसे सरकारी सेवक के कार्य पर रखे/लगाए जाने से संबंधित ब्यौरे उसको उपचर्यागृह द्वारा संदत की जा रही परिलब्धियों के साथ पर्यवेक्षी प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(प) उपचर्यागृह चलाने वाला यह ध्यान रखेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि उपचर्यागृह या रूजोपचार संबंधी स्थान को किसी असामाजिक या अनैतिक प्रयोजनों या दोंनो के लिये उपयोग में नहीं लाया जाता है।

अनुसूची – तीन

(नियम 18 देखिए)

रूजोपचार संबंधी स्थापना की अपेक्षाएं

1. स्थिति, भवन तथा आसपास का वातावरण – (एक) रूजोपचार संबंधी स्थापना किसी खुली मल नाली, या सार्वजनिक शौचालय से लगा हुआ नहीं होगा या ऐसे भवन में जिसके आसपास का वातावरण या परिस्थितयां गंदगी युक्त हो, स्थित नहीं होगा।

(दो) रूजापेचार संबंधी स्थापना किसी मलिन, नम या अन्यथा अनुपयुक्त भवन में स्थित नहीं होगा, रूजोपचार संबंधी स्थापना के लिये उपयोग में आने वाला भवन स्वच्छ तथा स्वस्थकर दशा में रखा जाएगा।

(तीन) रूजोपचार संबंधी स्थापना के लिये उपयोग में आने वाले भवन में पानी तथा बिजली प्रदाय की पर्याप्त व्यवस्था की जाएंगी। जल निकास का प्रबंध इस प्रकार किया जाएगा कि किसी व्यक्ति को किसी जोखिम या खतरे का सामना न करना पड़े।

(चार) भवन में फ्लश व्यवस्था सहित शौचालय सुविधा होगी।

2. उपस्कर – (एक) रूजोपचार संबंधी स्थापना में उपयोग में आने वाले उपस्कर काम करने की सुरक्षित दशा में रखे जाएंगे। जहां किसी जांच करने वाले या निदान करने वाले या अन्य उपस्कर के लिये भारत सरकार या राज्य सरकार

द्वारा नियुक्त किसी कानूनी या कार्यपालक अभिकरण से प्रमाणन/ अनुमोदन अपेक्षित हो, वहां कोई भी उपस्कर ऐसे प्रमाणन/ अनुमोदन के बिना नहीं लगाया जाएगा और या उपयोग में नहीं लाया जाएगा ।

(दो) उपस्कर के उपयोग में या किसी जांच के किए जाने में अंतग्रस्त परिसंकट से रोगियों तथा कर्मकारों या तकनीशियनों की सुरक्षा के लिये रूजोपचार संबंधी स्थापना के स्वामी या रखने वाले के द्वारा उचित तथा पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएंगे।

3. स्टाक रजिस्टर – रूजोपचार संबंधी स्थापना में एक स्टाक रजिस्टर जांच, परीक्षण आदि के क्रियान्वयन में उपयोग में आने वाले उपस्करों, उपकरणों या अन्य वस्तुओं के लिए रखा जाएगा।

4. चिकित्सा व्यवसायियों तथा तकनीशियनों की सेवाएं – (एक) रूजोपचार संबंधी स्थापना में एक चिकित्सा व्यवसायी की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी जो इस क्षेत्र में अनुमोदित अर्हता रखता हो जिसमें निदान संबंधी परीक्षण या परीक्षा की जानी है। जो रूजोपचार संबंधी स्थापना में कार्यभार को ध्यान में रखते हुए, ऐसे अर्हता प्राप्त चिकित्सा व्यवसायियों की सेवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जाएंगी।

(दो) अर्हता प्राप्त तकनीशियन या तकनीशियनों की सेवाएं उपस्करों के संचालन या परीक्षण/परीक्षा किए जासने के लिए उपलब्ध करवाई जाएंगी।

(तीन) ऐसी दशा में जबकि रूजोपचार संबंधी स्थापना में भौतिक चिकित्सा उपलब्ध की जाना हो अर्हता प्राप्त भौतिम चिकित्साविद की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

5. (एक) रूजोपचार संबंधी स्थापना को रखने वाला या उसका स्वामी एक शिकायत पुस्तक रखेगा तथा शिकायतकर्ता की शिकायत अभिलिखत करने के लिये उसे उपलब्ध करवाएगा तथा शिकायत पुस्तक पर्यवेक्षी प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति को निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराई जाएगी।

(दो) रूजोपचार संबंधी स्थापना को रखने वाला या उसका स्वामी रूजोपचार संबंधी स्थापना द्वारा प्रदत्त की जाने वाली विभिन्न चिकित्सीय/निदान संबंधी/परीक्षण संबंधी सुविधाओं की दर की सूची प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा। पर्यवेक्षी प्राधिकारी को भी दर सूची तथा उसमें किए गए संशोधनों की सूची यदि कोई हो, सूचना दी जाती रहेगी।

6. रूजोपचार संबंधी स्थापना रखने वाला या उसका स्वामी किसी सरकारी सेवक को उसके द्वारा राज्य शासन से इस संबंध में प्राप्त की गई स्पष्ट अनुमति के बिना रूजोपचार संबंधी स्थापना में किसी भी कार्य, जिसमें परामर्श भी सम्मिलित है, के लिये नहीं रखेगा या लगाएगा और जहां सरकारी सेवक को इस प्रकार रूजोपचार संबंधी स्थापना में लगाया/रखा जाता है तो रूजोपचार संबंधी स्थापना रखने वाला या उसका स्वामी पूर्णकालिक/अंशकालिक आधार पर रखे/लगाए गए ऐसे सरकारी सेवक के कार्य पर रखे/लगाए जाने से संबंधित ब्यौरे उसको रूजोपचार संबंधी स्थापना द्वारा संदत्त की जा रही परिलब्धियों के साथ पर्यवेक्षी प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

प्ररूप "क"

(नियम 3 तथा 6 देखिये)

मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के लिये आवेदन

भाग क—सामान्य

1	आवेदक का पूरा नाम	....
2	आवेदक के निवास का पूरा पता उस दशा में जब आवेदन किसी कम्पनी, समिति, संगम या अन्य निगमित निकाय की ओर से दिया गया है तो ऐसी कम्पनी, समिति, संगम या अन्य निगमित निकाय के प्रबंधन के भारसाधक व्यक्ति का नाम तथा निवास का पता दिया जाना चाहियें।	....
3	आवेदक की तकनीकी अर्हताएं, यदि कोई हो	....
4	आवेदक की राष्ट्रीयता	....
5	कम्पनी, समिति, संगम अथवा अन्य निगमित निकाय के रजिस्ट्रीकृत या प्रमुख कार्यालय की स्थिति।	....
6	उस उपचर्यागृह या रूजोपचार संबंधी स्थापना का नाम तथा अन्य विशिष्टयां जिसके संबंध में रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन किया गया है।	....
7	वह स्थान, जहां उपचर्यागृह/रूजोपचार संबंधी स्थापना स्थित है।	....
8	क्या आवेदक किसी अन्य उपचर्यागृह/रूजोपचार संबंधी स्थापना या कारबार में हित रखता है यदि हां तो वह स्थान जहां ऐसा उपचर्यागृह/रूजोपचार संबंधी स्थापना स्थित है या जहां ऐसा कारबार किया जा रहा है।	....

भाग ख—उपचर्यागृह

9	उपचर्यागृह के निर्माण, आकार और उपस्कारों का या उपयोग किये उससे संसक्त किन्हीं परिसरों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिये अनुसार होगा :— (एक) बिस्तरों की संख्या दर्शातें हुये रोगियों को दिये गये शयन कक्षों का फर्श स्थान (फ्लोर स्पेस) (दो) कर्मचारियों की चिकित्सीय जांच पड़ताल तथा रोग क्षमताकरण (इम्यूनाईजेशन) के लिये की गई व्यवस्थाऐं। (तीन) प्रत्येक कक्ष का क्षेत्रफल और उसके उपयोगकर्ता के ब्यौरे देते हुये रसोई घर, नौकरों के कक्ष तथा अन्य कक्षों का फर्श स्थान (फ्लोर स्पेस) (चार) रोगी तथा कर्मचारियों के लिये उनकी संख्या दर्शातें हुए स्वच्छता सुविधा के लिये की गई व्यवस्थाओं के ब्यौरे। (पांच) भोजन के भंडारण तथा परोसने के लिये की	....

गई व्यवस्थाओं के ब्यौरे

जबकि आवेदन किसी कम्पनी, समिति, संगम या अन्य निगमित निकाय की ओर से दिया जाता है।

10	क्या उपचर्यागृह का या उपयोग किये गये उससे संसक्त किन्हीं परिसरों का उपयोग उपचर्यागृह रखने के प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिये किया गया है या किया जाता है।	....
11	(क) प्रसूति रोगियों के लिये बिस्तरों की संख्या (ख) अन्य रोगियों के लिये बिस्तरों की संख्या	....
12	उपचर्यागृह में परिचर्या कर्मचारीवृन्द के सदस्यों के नाम, आयु तथा अर्हताएं	....
13	वह स्थान, जहां परिचर्या कर्मचारीवृन्द को ठहराया गया है	....
14	उपचर्यागृह के निवासी (रेसिडेन्ट) या विजिटिंग फिजिशियनों या शल्य चिकित्सकों के नाम, आयु तथा अर्हताएं	....
15	(क) क्या उपचर्यागृह अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के पर्यवेक्षणाधीन है और यदि है तो उसका नाम, आयु तथा अर्हताएं (ख) परिचर्या कर्मचारीवृन्द में अर्हित तथा अनर्हित परिचारिकाओं का अनुपात	....
16	(क) क्या उपचर्यागृह में परिचालित प्रसूति गृह किसी अर्हित परिचारिका या प्रसाविका के पर्यवेक्षणाधीन है, यदि हां तो उसका नाम, आयु तथा अर्हताएं (ख) क्या उपचर्यागृह में किसी रोगी की उपचर्या हेतु कोई अरजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी अथवा अनर्हित प्रसाविका नियोजित की गई है।	....
17	क्या उपचर्यागृह में अन्य देशीय राष्ट्रीयता का कोई व्यक्ति नियोजित है और यदि कोई हो तो उसका नाम तथा अन्य विशिष्टियां।	....
18	रोगियों पर प्रभारित फीस	....

भाग ग—रूजोपचार संबंधी स्थापना

19	रूजोपचार संबंधी स्थापना के लिये उपयोग में लाये जाने वाले भवन का विवरण, अवस्थिति, आकार और प्रकार।	....

20	रूजोपचार संबंधी स्थापना का प्रकार	....
21	रूजोपचार संबंधी स्थापना में जांच/परीक्षण करने या उपलब्ध उपचार की सुविधाएं	....
22	उपस्कर के ब्यौरे	....
23	उस चिकित्सा व्यवसायी/उन चिकित्सा व्यवसायियों के नाम, आयु तथा अर्हताएं जिनके संपूर्ण प्रभार में रूजोपचार संबंधी स्थापना कृत्य करेगा।	....
24	रूजोपचार संबंधी स्थापना में नियोजित तकनीशियनों के नाम, आयु तथा अर्हता।	....
25	रोगियों पर प्रभारित फीस	....
	भाग घ—(नवीनीकरण के लिए)	
26	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र का क्रमांक तथा उसकी समाप्ति की तारीख	....
27	जमा की गई फीस के ब्यौरे	....

मैं सत्य निष्ठा से यह घोषित करता हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य है।

तारीख .... 199..

....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप "ख"

(नियम 5 तथा 6 देखिये)

मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र

क्रमांक.......................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... को मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 के अधीन .... में स्थित .... (यहां उपचर्यागृह/रूजोपचार संबंधी स्थापना का नाम अंतर्विष्ट करें) के संबंध में रजिस्ट्रीकृत किया गया है और उक्त उपचर्यागृह/रूजोपचार संबंधी स्थापना चलाने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक ....

रजिस्ट्रीकरण की तारीख ....

स्थान ....

प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख ....

यह प्रमाण पत्र 31 मार्च 19...... तक विधिमान्य होगा।

....

पर्यवेक्षी प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप " ख ख"

(नियम 5 तथा 6 देखिये)

मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 की धारा 4 के अधीन अनुज्ञप्ति का प्ररूप

क्रमांक.......................

मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) नियम, 1955 के नियम .... क्रमांक .... तारीख ....द्वारा रजिस्ट्रीकृत श्री/श्रीमती .... तारीख से 31 मार्च 19...... तक की कालावधि के लिये .... के संबंध में उक्त नियमों की अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, उक्त उपचर्यागृह/रूजोपचार संबंधी स्थापना चलाने के लिये एतद्द्वारा अनुज्ञप्ति मंजूर की जाती है।

मुद्रा

....

पर्यवेक्षी प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप "ग"

(नियम 10 देखिये)

मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का नाम दर्शानें वाला रजिस्टर

आवेदक का (पूरा) नाम	आवेदक का पूरा पता	आवेदक की राष्ट्रीयता	उस उपचर्यागृह/रूजोपचार संबंधी स्थापना का नाम तथा अन्य विशिष्टियां जिसके संबंध में आवेदक रजिस्ट्रीकृत किया गया है	व्ह स्थान जहां उपचर्यागृह/रूजोपचार संबंधी स्थापना स्थित है	रोगियों की कुल संख्या जिनके लिये उपचर्यागृह है प्रसूति होगी	रजिस्ट्रीकरण का क्रमांक तथा तारीख अन्य रोगी	रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

प्ररूप " घ"

(नियम 14 देखिये)

.... उपचर्यागृह में भरती किए गए रोगियों का रजिस्टर

अनुक्रमांक	रोगी का संदर्भ क्रमांक	रोगी का पूरा नाम तथा पता	भर्ती की तारीख	भर्ती के समय रोगी का स्वरूप	यदि उपचर्यागृह में रहने के दौरान किसी संक्रामक रोग से पीड़ित हुआ है तो ऐसे रोग का स्वरूप तथा की गई कार्यवाही	प्रसूती मामलों के संबंध में भरी जाने वाली अतिरिक्त प्रविष्टियां		प्रसव के समय उपस्थित व्यक्तियों के नाम तथा पते	उपचर्यागृह में प्रत्येक शिशु को आहार देने का तरीका और उसकी कालावधि	रोगी या शिशु की मृत्यु की दशा में मृत्यु की तारीख तथा समय	उपचर्या गृह से रोगी को छुट्‌टी देने की तारीख	टिप्पणिया
						यथास्थिति प्रसव/गर्भस्त्राव या गर्भपात की तारीख और समय	शिशु का लिंग चाहे वह जीवित जन्मा हो मृत					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

प्ररूप "ड."

(नियम 15 देखिये)

उन रोगियों का रजिस्टर जिनकी रूजोपचार संबंधी स्थापना में परीक्षा की गई हो या जिनका उपचार किया गया हो या जिनके संबंध में कोई जांच की गई हो

अनुक्रमांक	रोगी का संदर्भ क्रमांक	रोगी का पूरा नाम और पता	तारीख या तारीखें जब परीक्षण किया गया था या जांच की गई	उस डॉक्टर का या अस्पताल का नाम जिसने जांच हेतु संदर्भ किया गया	की गई जांच	जांच/परीक्षण के लिये प्रभारित फीस	फिजिओथेरेपी क्लीनिक के संबंध में भरी जाने अतिरिक्त विशिष्टियां			टिप्पणी
							उस रोग/बीमारी की विशिष्टियां जिसका उपचार किया गया	उपचार की कुल काला–वधि	प्रभारित कुल फीस	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.के. मेहरोत्रा, प्रमुख सचिव

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 1997

क्रमांक एफ 2–3–97–सत्रह–मेडि–2, – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2–3–97–सत्रह–मेडि–2, दिनांक 23 जुलाई 1997 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्रधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.के. मेहरोत्रा, प्रमुख सचिव

Public Health & Family Welfare Department

Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal

Bhopal, the 23rd July 1997

No. FF. 2-3-97-XVII-M-2. – In exercise of the powers conferred by section 14 of the Madhya Pradesh Upcharyagriha Tatha Rujopchar Sambandhi Sthapnaye (Registrikaran Tatha Anugyapan) Adhiniyam, 1973 (No. 47 of 1973), the State Government hereby makes the following rules, the same have been previously published as required by sub-section (1) of Section 14 of the said Act and the same now published as required by the said sub section thereof namely:-

1 **Short title, extent and commencement**-(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Upcharyagriha Rujopchar Sambandi Sthapanaye (Registrikaran Tatha Anugyapan) Rules, 1997.

(2) These rules shall apply in local areas as defined herein.

2. **Definitions** - In these rules, unless the context otherwise requires :-

(a). "Act" means the Madhya Pradesh Upcharyagriha Rujopchar Sambandi Sthapanaye (Registrikaran Tatha Anugyapan) Adhiniyam, 1973 (No. 47 of 1973);

(b) "Form" means a form appended to these rules;

(c) "Infectious Disease" means a disease which a Registered Medical Practitioner is required to notify to the Medical and Health Officer of his area under the law for the time being in force;

(d) "Keeper or Owner of Nursing Home or Clinical Establishment" means a person who has been duly registered by the supervising authority in respect of Nursing Home or a Clinical Establishment under sub-section (3) of Section 4 of the Act and whose registration has not been cancelled under Section 5 of the Act;

(e) "Local area" means the area comprised within the local limits of a Municipal Corporation or a Municipality or a Nagar Panchayat constituted under the Madhya Pradesh Municipal Act, 1961, as the case may be or any other area declared to be a local area for the purpose of this Act by the State Government by notification in the official Gazette.

(f) "Section" means a section of the Act;

(g) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

3. **Application for the registration and licence.-**

Any person intending to start or carry on a nursing home or a Clinical Establishment shall make an application to the supervising authority in Form “A” at least one month before the date on which he intends to start or carry on such nursing home or Clinical Establishment.

4. **Acknowledgement of application. –**

(1) Where an application for the grant or renewal of a registration is delivered personally, its receipt shall be acknowledged forthwith.

(2) Where such application is received by registered post, it receipt shall be acknowledged on the same day.

(3) In any other case, the receipt of such application shall be acknowledged within three days of its receipt.

5. **Grant of certificate of registration and licence.-**

The supervising authority, after making such enquiry including inspection of the premises intended to be used for the nursing home or clinical establishment, as deemed necessary shall if satisfied that there is no objection to registration, register the applicant and issued to him a certificate of registration, in Form “B” and a licence in Form “BB”. The supervising authority shall as for as possible, dispose of every application received under these rules with one month from the date of receipt of application.

6. **Renewal of registration and licence.**

(1) An application for the renewal of registration shall be made every year advance in Form “A” at least one month before the date on which the registration and the licence are to expire and shall be accompanied by the fee prescribed in rule 7.

(2) On receipt of an application made under sub-rule (1) the supervising authority shall, if satisfied that the application is in order, issue a fresh certificate in Form “B” and a licence in Form “BB”.

7. **Fees.** – The fee fro grant of certificate of registration and licence and for issue of duplicate certificate of registration and licence shall be as specified in the schedule-I and shall be credited to the receipt Head 0210 – Medical. The fee chargeable for renewal of certificate of registration and licence shall be the same as for grant of a fresh certificate of registration and licence.

8. **Refusal of application for registration and licence.-** The supervising authority may, after giving an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing and communicated to the applicant refuse to grant or renew the certificate of registration and licence.

9. **Refund of fee.- (1)** Where an application for the grant of renewal of a certificate of registration is refused., the fee paid by the applicant shall be refunded to the applicant.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where an application for grant or renewal of a certificate of registration is refused on account of any lapse on the part of the applicant in suppressing any material information or in not-furnishing any material information asked for by the Supervising Authority the fees paid by the applicant shall be forfeited.

10. **Register.-** The supervising authority shall maintain a register in form 'C' showing the names of persons registered under sub-section (3) of Section 4 of the Act.

11. **Change of address.-** The keeper or owner of Nursing Home or Clinical Establishment shall communicate to the supervising authority any change in his address or in the situation of the nursing home or clinical establishment in respect of which he is registered not later than three days after such change.

12. **Change in staff.-** Changes in the Medical, Nursing, Midwifery or Technical staff together with the dates on which such changes have taken place shall be communicated to the supervising authority immediately and in any case not later than three days of such change.

13. **Loss of certificate or Licence.-** In the event of a certificate of registration or licence or both being lost or destroyed, the holder may apply to the supervising authority for issue of a duplicate certificate of registration or licence and the supervising authority, if it thinks fit, issue such certificate and/or licence upon payment of a fee specified in Schedule-I. A certificate of registration or licence issued under this rule shall be marked 'Duplicate'.

14. **Record of patient's admitted or children born in the Nursing Home.- (1)** The keeper of a nursing home shall keep :-

(a) in Form 'D' a register of patients admitted into the nursing home;

(b) a correct alphabetical index of the names of the patients admitted to the nursing home;

(c) record of health case sheet of every patient containing the following information in addition to any other information, that may be required by the supervising authority :-

(i)	Year	
(ii)	Register No.	
(iii)	Name	
	W/o, S/o, D/o	
(iv)	Occupation	
(v)	Sex	
(vi)	Caste	
(vii)	Age	
(viii)	Date of Admission	
(ix)	Date of discharge	

(x)	Disease	
(xi)	Result of treatment	
(xii)	Date	
	History and treatment	
	Diet	

(2) Where an entry made in the register referred to in clause (a) of sub-rule (1) relates to a woman who has been admitted for delivery, and share a child born to such woman is removed with the consent of the keeper of nursing home and of the parents, or mother or near relative, the keeper of such nursing home shall in addition to the particulars specified in sub-rule (1) also specify in the register the name and address of the person to whose custody and the date on which and the reasons for which the child was so removed.

(15) **Record of patients examined or treated in the clinical establishment.-** The keeper or owner of a clinical establishment shall prepare and keep in form 'E' a register of patients examined or treated or in respect of whom any tests are carried out.

(16) **Intimation of death of a patient occurring in nursing home.-** If any death occurs in the nursing home, the keeper of the nursing home shall within 24 hours from the occurrence of the death furnish the following information is respect of such death to the supervising authority together with any other information that may be required by it and to the Medical and Health Officer having jurisdiction over the area in which a nursing home is situated :-

(i) Date of death

(ii) Name of deceased (in block letters)

(iii) Male or female

(iv) Name of father or of the husband of the deceased (in block letters)

(v) Age of deceased

(vi) Occupation of the deceased

(vii) Cased of death

(17) **Requirements of Nursing Home.-** The keeper or Owner of the nursing home shall fulfill at all times the requirements of a nursing home as specified in Schedule-II. Provided that the nursing homes already registered prior to the date of commencement of these rules shall fulfill the requirements within a period of ninety days from the date of coming into force of these rules.

(18) **Requirements of Clinical Establishment.-** The keeper or owner of the Clinical establishment shall fulfill at all times the requirements of a Clinical Establishment as specified in Schedule-III.

(19) **Immediate report about contagious diseases.-** The keeper of the nursing home or clinical establishment shall submit a report immediately to the Chief Medical and Health Officer of the district and/or the Chief Medical Officer of the Hospital, if any, maintained by the Municipal Corporation or Municipal Council as the case may be and the supervising authority as soon as it comes to his notice that any person who has been admitted or examined as a indoor or out-door patient in the nursing home or the clinical establishment, is suffering from or has been attacked with Tetanus, Gas Gangrene, Chickenpox, Cholera, Gastroenteritis, Measles, Infective hepatitis, Poliomyelitis or Meningitis and the establishment shall be placed under quarantine immediately and the premises shall be disinfected in a proper manner.

(20) **Application for appeal.- (1)** Any person aggrieved by an order made by the supervising authority in exercise of the powers conferred on it by the Act or these rules may within sixty days from the date of communication of the order to him, appeal to the State Government by filling the same in triplicate against the order. The application for appeal should be accompanied by a treasury receipt showing that fee of Rs. 100/- has been paid into a Government treasury to the credit of State Government and a copy of the order against which the appeal is made : Provided that any such application may be entertained after the said period of sixty days, if the applicant satisfies the State Government that he has sufficient cause for not making the application within time.

(21) **Order on appeal application.- (1)** On receipt of an application for appeal, and after considering the records referred therein the State Government may confirm, modify of set aside the order or pass such other order in relation thereto as it may deem just and proper.

(2) Pending final Disposal of an appeal the State Government may, for sufficient cause, stay the execution of the order against which appeal has been made.

SCHEDULE I

(See rule 7)

Schedule of Fees

(a)	For Nursing Home and Maternity Home.	Registration Fee	Fee for issue of a duplicate certificate of registration and / or licence
(i)	Upto 10 beds	200.00	50.00
(ii)	Above 10 beds but upto 20 beds	350.00	
(iii)	Above 20 beds but upto 30 beds	450.00	
(iv)	For each additional above 30 beds	15.00	
(b)	For Physical Therapy establishment	200.00	50.00
(c)	For Clinical Laboratory	200.00	
(d)	For out-door clinics	200.00	

SCHEDULE II

(See rule 17)

Requirements of Nursing Home

(a) **Location and surroundings.-** The nursing home shall not be adjacent to an open sewer, drain or public lavatory or to a factory emitting smoke or obnoxious odour.

(b) **Building.-**

i The building used for the nursing home shall comply with the relevant municipal bye-law in force from time to time.

ii The rooms of the nursing home shall be well ventilated and lighted and shall be kept in clean and hygienic conditions.

iii The wall of the labour room and operation theatre upto a height of four feet from the floor shall be of such construction as to render it water proof. The flooring shall be such as not to permit retention or accumulation of dust. There shall be no chinks or crevices in the walls or floors.

iv Aseptic conditions shall be maintained in labour room and the operation room.

v Adequate arrangements shall be made for isolating specific and infectious cases.

(c) **Space accommodation for the patients etc.-**

i The floor space in nursing home shall be 100 square feet for one bed and additional 75 square feet for every additional bed in the room.

ii The floor space in nursing home shall be 100 square feet for one bed and additional 75 square feet for every additional bed in the room.

iii A labour room/operation theatre shall be provided with minimum floor of 180 sq. feet.

iv Adequate space for storage of medicines, food articles; equipments etc. shall be provided.

(d) **Water Supply.-** The water used in the nursing home shall be pure and of drinkable quality.

(e) **Health, clothing and sanitary requirements of staff.-**

(i) The staff, employed shall be free from any contagious disease and shall be provided with clean uniforms suitable to the nature of their duties.

(ii) The workers shall be medically examined at the time of employment and periodically so examined thereafter.

(f) **Equipment and linen, etc.-** The nursing home shall provide and maintain :-

(i) Adequate number of commodes, bed-pans and slop sinks with flushing arrangements;
(ii) High pressure sterilizer and instrument sterilizer;
(iii) Oxygen cylinder or cylinders and necessary attachment for giving oxygen;
(iv) Apparatus for transfusion;
(v) Adequate equipments, instruments and apparatus;
(vi) Adequate quantity of bed-sheets, mattresses, pillows, blankets, draw sheets and other linens, and
(vii) An almirah under lock and key for poisonous substances;
(viii) The in-patients shall be provided with minimum furniture and lines as below :-

For each in-patient :

Cot with mattress	**One**
Bed side-locker	**One**
Chair/Stool	**One**
Blanket	**One**
Bed Sheet/Counter pane	**Two to be changed everyday**
Pillow with case counter pane	**One**
Mosquito-net	**One**

(g) **Food.-** If the nursing home provides diet to the patients, it shall be prepared and served under hygienic condition.

(h) **Nursing staff and Midwives.-** (i) Services of nurse shall be provided at the scale of four nurses for 20 beds with a minimum of three nurses in a nursing home/maternity home of 10 beds. In case of a nursing home having 50 beds or more services of one nursing sister for every 50 beds or part thereof shall also be provided.

(ii) 2 Midwives for 1 to 10 beds in case of maternity homes only.

(i) **Records.-** Separate stock register shall be maintained by the nursing home for (i) equipment, (ii) instruments, and (iii) linen.

(j) Services of Registered Medical Practitioners shall be provided at the scale indicated below :-

(i) One Medical Practitioner for every 15 patient's bed strength or part thereof with a minimum of three medical practitioners in a nursing home having less 45 beds.

(ii) One Medical Practitioner for every fourty new out-patients or part thereof per day.

(iii) One Medical Practitioner for every 50 old patients or part thereof per day.

(k) Services of one Medical Practitioner on duty shall be available at all time for attending to emergency call of the indoor patients.

(l) Services of one pharmacist if drug store is maintained.

(m) Services of one qualified Medical Practitioner and X-ray Technician if X-ray facility is provided.

(n) Services of qualified Medical practitioner and Technician if pathological and lab, facility is provided.

(o) Services of physiotherapist if physio-therapy facility is provided.

(p) Certificate of Registration and Licence shall be displayed in the nursing home at a prominent place.

(q) All records and registers maintained shall bear Registration and Licence number of the nursing home. Similarly all documents and stationery including treatment charts, reports, cash memes, bill etc., used by the nursing home shall bear this number.

(r) The keeper of the nursing home shall maintain a complaint book and make it available to the complainant for recording complaint. The complaint book shall be made available to the supervising authority or a person authorised on his behalf for inspection.

(s) The keeper of the nursing home shall display prominently the rate list of various medical services being rendered by the nursing home. The supervising authority shall also be kept informed of the rate list and of the amendments if any made therein.

(t) The keeper of the nursing home shall not engage any government servant for any work including consultation without express permission of the Government obtained by such government servant in this behalf and in the event of engagement of any government servant in the nursing home the keeper thereof shall furnish to the supervising authority details engagements of such government servant on full-time/part-time basis alongwith the emoluments paid to him by the nursing home.

(u) The keeper of the nursing home shall take care and ensure that the nursing home or the clinical establishment is no used for unsocial or immoral purposes or both.

SCHEDULE III

(See rule 17)

Requirements of Clinical Establishment

(1) **Location, building and surroundings.-** (i) The Clinical Establishment shall not be adjacent to an open sewer, drain or public lavatory or shall not be located in a building with filthy surroundings or conditions.

(ii) The Clinical Establishment shall not be located in a dingy, damp or otherwise unsuitable building. The building used for clinical establishment shall be kept in clean and hygienic conditions.

(iii) The building used for clinical establishment shall have adequate water and electricity supply arrangements. Drainage shall be so provided as not to pose any risk or danger to any person.

(iv) The building shall have lavatory facility with flushing arrangements.

(2) **Equipment.-** (1) The equipment used in the clinical establishment shall be maintained in safe working condition. Where any testing or diagnostic or other equipment requires certification/approval from a statutory or executive agency appointed by government of India or the State Government, no equipment without such certification/approval shall be installed and/or used.

(3) **Stock register.-** Stock register shall be maintained in the clinical establishment for equipments, instruments and other articles used in carrying out tests, examination etc.

(4) **Services of Medical Practitioners and technicians.-**

(i) The clinical establishment shall be provided with the services of a Medical Practitioner having approved qualification in the field in which diagnostic tests or examination are carried out. Having regard to the workload in the clinical establishment, services of adequate number of such qualified medical practitioners shall be provided.

(ii) Services or qualified technician or technicians to operate the equipments or to carry-out tests/examination shall be provided.

(iii) In case the clinical establishment provides physio-therapy facilities, services of a qualified physio-therapy shall be provided.

(5) (i) The keeper or owner of the clinical establishment shall maintain a complaint book and make it available to the complainant for recording complaining. The complaint book shall be made available to the supervising authority or a person authorised on his behalf for inspection.

(ii) The keeper or owner of clinical establishment shall display prominently the rate list of various medical/diagnostic/testing facilities being rendered by the clinical establishment. The supervising authority shall also be kept informed of the rate list and of the amendments if any, made therein.

(6) The keeper or owner of the clinical establishment shall not engage any government servant for any work including consultation without express permission of the Government obtained by such a government servant in this behalf and in the event of engagement of any government servant in the clinical establishment, the keeper or owner thereof shall furnish to the supervising authority

details of engagement of such government servant on full-time/part-time basis alongwith the emoluments paid to him by the clinical establishment.

FORM 'A'

(See rules 3 and 6)

Application for Registration/Renewal of registration under sub-section (1) of Section 4 of Madhya Pradesh Upcharyagrah Tatha Rajopchar Sambandhi Sthapanaye (Registrikaran Tatha Anugyapan) Adhiniyam, 1973.

PART A – GENERAL

(1) Full name of the applicant ______________________________

(2) Full residential address of the applicant ______________________________

(3) Techinical qualifications if any, of applicant ______________________________

(4) Nationality of the applicant ______________________________

(5) Situation of the registered or principal office of the Company, Society, Association or other body corporate. ______________________________

(6) Name and other particulars of the nursing home or the clinical establishment in respect of which the registration is applied for. ______________________________

(7) Place where the nursing home/clinical establishment is situated ______________________________

(8) Whether the applicant is interested in any other nursing home/clinical establishment or business and, if so, the place where such nursing home/clinical establishment is situated or where such business is conducted. ______________________________

- In case application is made on behalf of a Company, Society, Association or other body corporate, the name and residential address of the person incharge of the management of such Company, Society, Association or body Corporate should be given.

- This item is applicable only when the application is made on behalf of a Company, Society, Association or other body corporate.

PART B – NURSING HOME

(9) Brief description of construction, side and equipment of the nursing home or any premises used in connection therewith as detailed below :- ______________________________

(i) Floor space of bed rooms provided for patients

giving number of beds. ____________________

(ii) Arrangements made for medical check-up and for immunization of the employees. ____________________

(iii) Floor space of kitchen, servants rooms and other rooms giving details of user and area of each room. ____________________

(iv) Details of arrangements made for sanitary convenience for patients and employees giving their numbers. ____________________

(v) Details of arrangements made for shortage and service of food. ____________________

(10) Whether the nursing home or any premises used in connection therewith are used or are to be used for purposes other than that of carrying on a nursing home. ____________________

(11) (a) Number of beds for maternity patients.

(b) Number of beds for other patients. ____________________

(12) Names, ages and qualifications of the members of the nursing staff in the nursing home. ____________________

(13) Place where the nursing staff is accommodated. ____________________

(14) Names, ages and qualifications of the resident or visiting physicians or surgeons in the nursing home. ____________________

(15) (a) Whether the nursing home is under the supervision of a qualified medical practitioner and if so his or her name, age and qualifications. ____________________

(b) Proportion of the qualified and unqualified nurses in the nursing staff. ____________________

(16) (a) Whether the maternity home being maintained within the nursing home is under the supervision of a qualified nurse or a midwife and if so, her names, age and qualifications. ____________________

(b) Whether any unregistered medical practitioner or unqualified nurse unqualified midwife is employed for nursing and patient in the nursing home. ____________________

(17) Whether any person of alien nationality is employed in the nursing home and if so, his name and other particulars. ____________________

(18) Fees charged to patients ____________________

PART C – CLINICAL ESTABLISHMENT

(19) Description, location, size and type of the building to be used for clinical establishment. ____________________

(20) Type of clinical establishment. ____________________

(21) Facilities for carrying out tests/examination or giving treatment available in the clinical establishment. ____________________

(22) Details of equipment. ____________________

(23) Name/s, age/s and qualifications of the medical practitioner under whose overall charge the clinical establishment shall function. ____________________

(24) Name/s, age/s and qualifications of the technicians employed in the clinical establishment. ____________________

(25) Fees charged from patients. ____________________

PART D – (FOR RENEWAL)

(26) No. and date of expiry of the certificate of registration. ____________________

(27) Details of the fee deposited. ____________________

I solemnly declare that the above statements are true to the best of my knowledge and belief.

Date …………..199…..

…………………………..
Signature of the applicant

FORM 'B'

(See rule 5 and 6)

Certificate of Registration under sub-section (3) of Section 4 of the Madhya Pradesh Upcharyagrah Tatha Rajopchar Sambandhi Sthapanaye (Registrikaran Tatha Anugyapan) Adhiniyam, 1973.

No...........................

This is to certify that Shri/Smt...has been registered under the Madhya Pradesh Upcharyagrah Tatha Rajopchar Sambandhi Sthapanaye (Registrikaran Tatha Anugyapan) Adhiniyam, 1973 in respect of..(here insert the name of Nursing Home/Clinical Establishment) situated at...and has been authorised to carry on the said Nursing Home/Clinical Establishment.

Registration No...

Name of Registration...

Place...

Date of issue of certificate................................

This certificate of registration shall be valid upto 31st March, 199.........

....

Signature of the Supervision Authority

FORM 'B B'

(See rule 5 and 6)

Form of Licence under Section (4) of the Madhya Pradesh Upcharyagrah Tatha Rujopchar Sambandhi Sthapanaye (Registrikaran Tatha Anugyapan) Adhiniyam, 1973.

No............................

Licence is hereby granted to Shri/Smt.. Registered vide No................................dated..............................under rule.......................................of the Madhya Pradesh Upcharyagrah Tatha Rujopchar Sambandhi Sthapanaye (Registrikaran Tatha Anugyapan) Rules, 1995 in respect of...to carry on the said nursing home/clinical establishement for a period from ....to 31st March, 199.............................subject to terms and conditions specified in Schedule II of the said rules.

Seal

....

Supervising Authority

FORM 'C'

(See 10)

Certificate of Registration under Section (3) of Section 4 of the Madhya Pradesh Upcharyagrah Tatha Rujopchar Sambandhi Sthapanaye (Registrikaran Tatha Anugyapan) Adhiniyam, 1973.

Name (in full) of the applicant	Full address of the applicant	Nationality of the applicant	Name and other particulars of the nursing home/clinical establishment in respect of which the applicant is registered
(1)	(2)	(3)	(4)

Place where the nursing home/clinical establishment is situated	Total number of patients for whom the nursing home		Number & Date of registration	Date of renewal of registration
	Maternity Patients	Other Patients		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

FORM 'D'

(See rule 14)

Register of patients admitted to..nursing home.

S.No.	Reference No. of patient	Full name and Address of patient	Date of admission	Nature of diseased at the time of admission
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

If the patient suffered from an infectious disease during his stay in the home, the nature of such disease and action taken.	Additional particulars to be filled in respect of		Maternity cases the name and address of persons attending to delivery.
	Date and hour of delivery/miscarriage or abortion as the case may be	Sex of child whether born alive or dead	
(6)	(7)	(8)	(9)

Method of feeding each child in the nursing home and the period.	In the case of patient or child the date and hour of the death.	Date of discharge of the patient from the nursing home.	Remarks
(10)	(11)	(12)	(13)

FORM 'E'

(See rule 15)

Registration of patients examined or treated or in respect or whom any test is carried out in

…..................................... **(Clinical Establishment)**

S.No.	Reference No. of patient	Full name and address of patient	Date or dates when examined or test carried out	Name and other particulars of the Doctor or hospital by whom/which referred for test.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Type of test carried out	Fee charged for test/examination	Additional particulars to be filled in respect of physio-therapy clinic			Remark
		Particulars of the disease/ailment	Total period treatment for which treated	Total fee charged	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
P.K. MEHROTRA, Principal Secretary

अंतिम नियम

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 1997

क्र. एफ–1–115–97–ई–उन्नीस.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग अभियांत्रिक (राजपत्रित) सेवा भरती नियम 1969 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में.–

(1) नियम 15 में, परन्तुक में, खण्ड (छः) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोडा जाए, अर्थात :–
''(सात) अनुसंधान अधिकारी के पद के लिए, सहायक अनुसंधान अधिकारी के पद पर न्यूनतम 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली जाना चाहिए''.

(2) अनुसूची एक में, अनक्रमांक 2 में अधीक्षण यंत्री से सम्बन्धित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात :–

(1)	(2)	(3)	(4)
अनुसंधान अधिकारी	1	प्रथम वर्ग	3000–100–3500–125–4500''

(3) अनुसूची चार में, कार्यपालन यंत्री प्रथम वर्ग से सम्बन्धित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात :–

(1)	(2)	(3)	(4)
लोक निर्माण विभाग	सहायक अनुसंधान अधिकारी द्वितीय वर्ग	6 वर्ष	अनुसंधान अधिकारी प्रथम वर्ग

''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाण्डेय,उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 1997

क्र. एफ–1–115–97–स्था.–उन्नीस.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, अस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–1–115–97–स्था.–उन्नीस, दिनांक 22 जुलाई 1997 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाण्डेय,उपसचिव.

Bhopal, the 22nd July 1997

No. F-1-115-97-E-XiX.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Public Works Engineering (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1969, namely :-

AMENDMENTS

In the said Rules :-

(1) in rule-15, in the proviso, after clause (vi), the following clause shall be added, namely :-
"(vii) for the post of Research Officer, a minimum service of 6 years should have been completed on the post of Assistant Research Officer."

(2) in Schedule I, in serial number 2 after the entries relating to Superintending Engineers, the following entries shall be inserted namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
Research Officer	1	Class-I	3000-100-3500-125-4500

(3) in Schedule IV, after the entries relating to Executive Engineer, Class-I the following entries shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
Public Works Department	Assistant Research Officer Class-II	6 Years	Research Officer Class-I

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
A.K. PANDEY, Dy. Secy.